

बिहार सरकार
राज्य प्रशासन विभाग

बिहार राज्य सरकार संतुष्ट है कि वैशाली जिला

एक 0310

477
31/3/97

संलग्न अनुसूची के बॉल 4, 5, 6 एवं 7 के थाना संख्या, छाता संख्या, प्रखंड संख्या, ठेका एवं सीमा कारिस्थितिकी डू-डोडा जिले, प्राणी-जातक प्रखंड, पाटन पातक प्रखंड, मु-आवाशिक डूजियोमाफौली जिले एवं पाटन डूनेपुराई डूजिले के अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है तथा जो वे में से अन्य जिलों एवं उनके पर्यावरण प्रभाव पर डूरा संरक्षण, व्यवस्थापन करना आवश्यक है।

संलग्न कानून प्राणी संरक्षण, अधिनियम 1972 संशोधित 1991 की धारा 53/1972 की उप धारा 18 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल संलग्न अनुसूची में उल्लेखित वैशाली जिला के क्षेत्र में "वैशाली" घोषित करने में सफल हुए।

1.1 "वैशाली जिला संरक्षण अला पक्षी आश्रयणी" होगा।

1.2 कोई व्यक्ति जिसके क्षेत्र पर इस अधिनियम का प्रभाव पड़ता है, जो अधिनियम के अन्तर्गत क्षेत्र में जो क्षेत्रों में अंतर अपना अपरिचित जिलाधिकारी वैशाली के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं कि पर राज्य सरकार द्वारा अधिनियम द्वारा किया जायेगा।

1.3 यह अधिनियम कानून संशोधित अधिनियम 1991 के अन्तर्गत 1991

द्विजिला सं- कानून प्राणी 11/97


के द्वारा तैयार

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

EO/- पी०के० लुभा,
सरकार के अपर सचिव।

हाथ- कानून प्राणी 11/97- 83E /कानून पटना 15, दिनांक 28-11-1997.

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मंत्रालय, गुलशरबाग, पटना को प्रेषित। कृपया इसे राज्य के आगामी अनायास अंक में प्रकाशित कराने के लिये पॉय को प्रकृतों इस विभाग को उपलब्ध कराते जायें।


पी०के० लुभा
सरकार के अपर सचिव।

अज्ञात